दिनांक–02.04.2018 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में उपायुक्त महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न डी0एम0एफ0टी0 की बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति : पंजी में संधारित है।
2. सर्वप्रथम उपायुक्त महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू की गई।
3. खनन गतिविधियों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित गांवों की सूची का सर्वे कर सात दिनों के अंदर सूची उपलब्ध कराने का निदेश सहायक खनन पदाधिकारी, गोड्डा को दिया गया।

(अनुपालनः– सहायक खनन पदाधिकारी, गोड्डा)।

4. समीक्षा के क्रम में उपायुक्त महोदया द्वारा निम्नांकित निदेश दिया गयाः–

I. कार्यपलक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा द्वारा चापाकल के मरम्मति एवं विशेष मरम्मति का अनुश्रवण (Monitoring) प्रतिदिन अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा कराने का निदेश दिया गया।

II. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोड्डा विगत 2014–15 से अबतक चापाकल एवं एच0वाई0डी0टी0 योजनाओं के निर्माण के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन सात दिनों के अंदर उपलब्ध करायेंगें।

III. DMFT के द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि के विरूद्ध अब तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र नही उपलब्ध कराने पर असंतोष जाहिर किया गया तथा एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायी गई राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इस क्रम में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा द्वारा बताया गया कि ODF में फोटोग्राफ सही नही रहने के कारण उपयोगिता प्रमाण–पत्र देना संभव नही हो रहा है। फलस्वरूप निदेश दिया गया कि ODF से संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण एक सप्ताह के अंदर कराते हुए, कार्य को पूर्ण कराया जाय।

IV. यदि योजना के कार्यनवयन में और राशि की आवश्यकता है तो राशि की अविलंब मांग की जाय।

V. बोआरीजोर प्रखण्ड में ली गई 05 योजना में से 04 पूर्ण हो गया है एवं 01 योजना का निविदा–निस्तार की प्रक्रिया में है, का निविदा निस्तार जिला स्तर पर ही कार्यपालक अभियंता, एवं अधीक्षक अभियंता के स्तर से करने का निदेश दिया गया।

VI. बोआरीजोर में पेयजल आपूर्ति हेतु पूर्ण की गई योजनाओं की जांच अंचलाधिकारी, बोआरीजोर से करवाने का निदेश दिया गया।

VII. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा के द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं का जांच विभिन्न बिन्दुओं यथा; योजना के प्राक्कलित राशि, एकरारनामा की राशि, प्राक्कलन के अनुसार का कार्य हुआ है या नही, योजना की वर्तमान भौतिक स्थिति, वर्तमान में योजना कार्यरत है या नही, पूर्ण/अपूर्ण इत्यादि बिन्दुओं पर सभी अंचलाधिकारियों से कराने का निदेश दिया गया।

VIII. संवेदक द्वारा पाईप लाईन बिछाने का कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करने का निदेश दिया गया तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य नही होने पर अवधि विस्तार

Scanned with CamScanner

(Time Extention) की राशि की कटौती के साथ–साथ प्रतिदिन 1000/– रूपये दण्ड शुल्क वसूलने का निदेश दिया गया।

IX. सोलर पेयजल आपूर्ति योजना का प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/नोडल पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0 गोड्डा, अंचलाधिकारी बोआरीजोर)।

X. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोड्डा द्वारा शौचालय मद में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

XI. जिला परिषद की राशि से सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं सभी थाना में भी सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोड्डा)

5. उपायुक्त महोदया द्वारा DMFT के तहत् निम्नांकित योजनाओं के कार्यान्वयन का निदेश दिया गया–

I. कस्तुरबा में स्मार्ट क्लास के संचालन हेतु उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान एवं कस्तुरबा विद्यालय के वॉडन की एक कमिटी बनाने का निदेश दिया गया। साथ–ही, स्मॉर्ट क्लास का संचालन हेतु एक बड़ा एवं एक छोटा जेनरेटर क्रय करने का निदेश दिया गया।

II. प्रत्येक प्रखण्ड में दो–दो मॉडल आँगनबाड़ी केन्द्र का डी0पी0आर0 कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, गोड्डा तैयार करेंगें।

III. प्रत्येक प्रखण्ड में मॉडल विद्यालय (Smart Class के साथ) का निर्माण।

IV. 10+2 एवं उच्च विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं की कमी की जांच कर निर्माण कार्य कराना तथा (Smart Class) की व्यवस्था करना।

V. गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल संस्थानों में नामांकन हेतु निःशुल्क कोंचिंग की व्यवस्था। उक्त कोंचिंग कार्य हेतु सेवा निवृत प्राध्यापक एवं विशेषज्ञ शिक्षकों की सेवा की व्यवस्था करना।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, गोड्डा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा/जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, गोड्डा/कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, गोड्डा/नोडल पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, गोड्डा)।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त किया गया।

नोडल पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी, कोषांग, गोड्डा।	सहायक खनन पदाधिकारी–सह–सदस्य, डी0एम0एफ0टी0 गोड्डा।	उप विकास आयुक्त –सह– सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0, गोड्डा।	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, गोड्डा।

...-04-2018.docx

Scanned with CamScanner

16 /DMFT *गोड्डा, दिनांक* 12/04/18

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोड्डा / कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,
गोड्डा।

Scanned with CamScanner